

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

HUM

ONE

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(प्रारूप-“अ”) शपथ-पत्र

हम मुन्नी सिंह एवं पृथ्वीराज सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री समरजीत सिंह सामाजिक एवं शैक्षिक विकास समिति शपथ पूर्वक बयान करते हैं :-

1. यह कि हमारे ट्रस्ट द्वारा दिनेश कुमार सिंह कलेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम व पोस्ट-बीरमानपुर, जिला-जौनपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारे ट्रस्ट के नाम से ग्राम व पोस्ट-बीरमानपुर, जिला-जौनपुर के गाटा सख्या 222, 223, 216, 217 में कुल रकम 0.8300 हे. भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

ATTESTED

Sworn & Verified Before Me.

यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सख्या 222, 223, 216, 217 सत्र 0.8300 हे. पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 05.01.2020 द्वारा पारित किया गया है।

यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमानित नक्शे के अनुसार किया गया है।

Handwritten signature and date: 07/09/23

Handwritten signature and text: Charan Singh, Ghose, 10/11/23

6. यह कि निरीक्षण समिति के सम्बन्धित उपरोक्त पत्र पर दूरत के नाम भूमि एवं उदा पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर मद्रास पर फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान में फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट/सोसाइटी द्वारा तत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिखा गया निर्णय अतिव होना एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून, समत कार्यवाही की जा सकेगी। इसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।



R.C. VERMA

02/10/23
 [Signature]
 20

I know and identify the deponent as:
 his regular full P.S. holder etc.

[Signature]
 20 सचिव

Chairman, Council for Technical Education, Uttar Pradesh, Lucknow